भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2136
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

आधुनिक खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां

†2136. श्री जगदम्बिका पालः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय फसल कटाई के बाद होने वाले क्षति को कम करने, खाद्य संरक्षा में सुधार लाने और किसानों के लिए मूल्यवर्धन को सुधारने के उद्देश्य से आधुनिक खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विविध रूपों को चिह्नित करने, उन्हें अपनाने और उनका विस्तार करने के लिए सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे सहयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों के साथ, अन्य बातों के अलावा, खाद्य विकिरण जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ अन्य उभरती संरक्षण और प्रसंस्करण विधियों को अपनाना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने निर्यात आवश्यकताओं, अंतरराष्ट्रीय मानकों और बाजार पहुँच के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए एपीईडीए सहित निर्यात-प्रचार और नियामक निकायों के साथ समन्वय तंत्र स्थापित किया है या स्थापित करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो ऐसे अंतर-मंत्रालयी और अंतर-अभिकरण समन्वय का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) फसलोत्तर हानि को कम करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और किसानों के लिए मूल्य वर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक खाद्य परिरक्षण और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की पहचान करने, अपनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग करता है। इस तरह का सहयोग अंतर-मंत्रालयी परामर्श, योजना अभिसरण, तकनीकी सलाहकार तंत्र और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा (पीएमकेएसवाई) योजना के अंतर्गत, परमाणु ऊर्जा विभाग और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) सहित संरेखित मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधि, वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन हेतु तकनीकी समिति के सदस्य हैं। पीएमकेएसवाई की एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के माध्यम से इरेडिएशन सुविधाओं की स्थापना में सहायता की जाती है। खाद्य सुरक्षा में सुधार, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य इरेडिएशन जैसी विशेष प्रौद्योगिकियों के लिए एमओएफपीआई ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ परामर्श किया है। आवेदकों को

खाद्य इरेडिएशन के स्रोत की आपूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की नामित एजेंसी के साथ एक समझौता भी प्रस्तुत करना होता है।

प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त की है, राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति और योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एमओएफपीआई ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना को पीएमएफएमई योजना के साथ एकीकृत करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों को संस्थागत ऋण तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की निर्यात आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और बाज़ार पहुंच के साथ संरेखित करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ निकट समन्वय में काम करता है, जिसमें उद्यमों की क्षमता निर्माण, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात-उन्मुख खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना शामिल है। ये व्यवस्थाएं तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, क्रेडिट लिंकेज, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा अनुपालन, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी समितियों, एसएचजी और एससी / एसटी उद्यमियों की समावेशी भागीदारी को सुगम बनाती हैं।

इसके अलावा, एमओएफपीआई, अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने परिरक्षण और प्रसंस्करण विधियों के भाग के रूप में अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे नियंत्रित तापमान / हवादार वाहन और विपणन अवसंरचना (फ्रोजन स्टोरेज/ कोल्ड स्टोरेज/ डीप फ्रीजर/ रेफ्रीजरेटेड डिस्प्ले कैबिनेट / चिलरस / पैकिंग / पैकेजिंग / राईपनिंग चैंबर आदि जैसी सुविधाओं के साथ विकारी उत्पादों के लिए आउटलेट की खुदरा श्रृंखला) को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को निर्यात आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बाजार पहुंच के साथ संरेखित करने के लिए, एमओएफपीआई वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए "उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना" कार्यान्वित्त कर रहा है।

भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एमओएफपीआई ने वर्ष 2017, 2023, 2024 और 2025 के दौरान वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के चार संस्करणों का आयोजन किया था, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनके एकीकरण को सुविधाजनक बनाकर खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति को उजागर करने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करते हैं। यह आयोजन वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, नवप्रवर्तकों, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगात्मक मंच पर लाता है और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ टाई-अप/ व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।

*****